ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर , दरभंगा

पी. एच.डी उपाधि हेतु प्रस्तावित शोध प्रारूप।

राजनीति विज्ञान विभाग , सामाजिक विज्ञान संकाय

शीर्षक - भारतीय लोकतंत्र में संसदीय समितियों की भूमिका का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (2014 - 2024)

पर्यवेक्षक

डॉ. आशीष कुमार बरियार
सी. एम. कॉलेज दरभंगा

शोधार्थी

किम्मी कुमारी
PAT-(2021-22)
Enrollment-22160077

शोध का शीर्षक

भारतीय लोकतंत्र में संसदीय समितियों की भूमिका का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

(2014 - 2024)

शोध समस्या का प्राक्कथन :-

इस शोध का उद्देश्य लोकतंत्र में एक संस्थान के रूप में संसदीय समितियों के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आयाम का अध्ययन करना तथा भारत में लोकतांत्रिक शासन परिदृश्य को आकार देने में संसदीय समितियों की संरचना, कार्यों और प्रभावशीलता का पता लगाना है। यह शोध इस प्रश्न की जांच करेगा की -

संसदीय समितियाँ भारतीय संसदीय प्रणाली में सरकार के कार्यों की निगरानी में कितनी प्रभावी रूप से योगदान करती हैं?

संसदीय समितियाँ अपनी विचारविमर्श और निर्णय-निर्माण प्रक्रियाओं में नागरिकों और विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोणों को कैसे समाहित करती हैं?

क्या संसदीय समितियाँ बहुमत एवं अल्पमत के मध्य एक वैचारिक अभिसरण का कार्य करती हैं?

किस प्रकार संसदीय समितियां भारतीय संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका के बीच समन्वय स्थापित करती हैं ?

शोध का आच्छादन - सार एवं क्षेत्र :-

संसद के प्राथमिक दायित्व में विधान निर्माण एवं सरकार को उसके कार्यों के प्रति जवाबदेयता को सुनिश्चित करना हैं । नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में संसद सदस्य कानूनों का निर्माण

करते हैं, सरकार के कार्यों की निगरानी, और सार्वजनिक वित्त के कुशल आवंटन में भूमिका अदा करते हैं । पिछले कुछ वर्षों में सरकार की जिम्मेदारियां उल्लेखनीय रूप से बढ़ी हैं सरकारी खर्च और नीति निर्माण अपने प्रकृति में अधिक तकनीकी और जटिल हो गए हैं । जबकि संसद के महत्वपूर्ण संख्या में कार्य सदन के पटल पर सम्पन्न होते हैं किन्तु एक निश्चित समयावधि में सदन में सरकार के सभी कार्यों की जांच करना कठिन हैं । इस हेतु संसदीय समितियों का निर्माण विस्तार से एवं पर्याप्त विशेषज्ञता के साथ सरकार के नीतियों, प्रस्तावित विधानों, एवं सरकार के व्यय की जांच करने हेतु किया गया ।

समितियाँ किसी विषय पर हितधारकों के साथ - साथ विशेषज्ञों के सुझावों को सुनती हैं । संसद के अवकाशकाल में पर्याप्त समय के साथ नीति की सूक्ष्मता के साथ उसके प्रभाव एवं उपयोगिता का विश्लेषण कर संसद को सुझाव प्रस्तुत करती हैं । यह राजनीतिक दलों को भी सहमति निर्माण में मदद करती हैं । संसद सदस्य समिति के सुझावों से नीति के विस्तार को समझ पाते हैं । संसदीय समितियाँ संसदीय लोकतंत्र के विकास एवं लोकतंत्र में विमर्शी मूल्यों की वाहक रही हैं । भारत में संसद की समितियाँ संविधान के अनुच्छेद 105 तथा अनुच्छेद 118 से अपने आकार ,प्रकार ,शक्तियां , औचित्य को ग्रहण करती हैं ।

17हवीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान संसद 37 दिनों तक चली। पिछले 10 वर्षों में संसद की बैठक प्रति वर्ष औसतन 67 दिन हुई । सदन में चर्चा किए जा रहे मामलों की गहराई तक पहुँचने में सांसदों के लिए यह समय की कमी हैं । चूंकि समितियाँ पूरे वर्ष भर मिलती हैं , वे सदन में उपलब्ध समय की कमी को पूरा करने में मदद करती हैं। हालाँकि संसद की स्थायी समितियों को जांच हेतु सौंपे गए विधेयकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई हैं । 17हवीं लोकसभा के मानसून सत्र 2023 तक , 17% विधेयक समितियों को निर्दिष्ट किए गए । यह संख्या पिछले तीन लोकसभा (14 हवीं - 60%, 15 हवीं - 71%, 16हवीं 27%) की तुलना में उल्लेखनीय गिरावट को दर्शाता हैं । समितियों को विधेयक निर्दिष्ट करना पूर्णतः सदन के शक्तियों पर निर्भर करता हैं किन्तु विधान निर्माण में इसके महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता हैं की संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग(2002) ने अंकित किया की संसद में प्रस्तुत सभी विधेयक विस्तार से समीक्षा हेतु स्वतः ही संबंधित समिति को निर्दिष्ट किए जाने चाहिए। कुछ संसदीय समितियां हैं - प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति,

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति।

संसद उन मामलों पर विचार-विमर्श करती है जो जटिल होते हैं, और इसलिए ऐसे मामलों को बेहतर ढंग से समझने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। समितियाँ एक मंच प्रदान करके इसमें मदद करती हैं जहाँ सदस्य अपने अध्ययन के दौरान क्षेत्र विशेषज्ञों और सरकारी अधिकारियों के साथ जुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति ने सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 का अध्ययन किया जो वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। चूंकि सांसद अलग-अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए उनके पास सरोगेसी से संबंधित विवरण जैसे प्रजनन संबंधी मुद्दे, गर्भपात और सरोगेसी क्लीनिकों के विनियमन आदि को समझने की विशेषज्ञता नहीं हो सकती है। समिति ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले, मुद्दों की बेहतर समझ के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने डॉक्टरों और सरकारी अधिकारियों सहित कई हितधारकों को बुलाया।

एक समिति अपना अध्ययन पूरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है जिसे संसद के पटल पर रखा जाता है। ये सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, हालाँकि, इनका बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य पर स्थायी समिति ने 2017 में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक के लिए कई सिफारिशें कीं। इनमें से कई को हाल ही में पारित 2019 विधेयक में शामिल किया गया था, जिसमें आयुष चिकित्सकों के लिए ब्रिज कोर्स की अनुमति देने के प्रावधान को हटाना भी शामिल था।

समितियाँ अपने-अपने मंत्रालयों में नीतिगत मुद्दों की भी जाँच करती हैं और सरकार को सुझाव देती हैं। सरकार को रिपोर्ट देनी होगी कि ये सिफारिशें मानी गईं या नहीं। इसके आधार पर, समितियाँ एक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करती हैं, जो प्रत्येक सिफारिश पर सरकार की कार्रवाई की स्थिति दिखाती है।

संसदीय समितियाँ ऐतिहासिक विकास की देन हैं । जिस तरह समितियां जांच, मूल्यांकन और कानून और नीति परिणामों में सुधार प्रदान करने के लिए कार्य करती हैं वह एक समृद्ध एवं सामर्थ्यपूर्ण प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को अभिभूत करता हैं । भारत के लोकतान्त्रिक विकास में इनकी भूमिका अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण रहीं हैं । लोकतंत्र के एक कोशिका संरचनाओं के रूप में इनके महत्व को समझे जाने की जरूरत हैं ।

साहित्य समीक्षा :-

Siefken, Sven T. And Rommetvedt, Hilmar, Parliamentary Committees in the Policy Process की पुस्तक इस महत्व को रेखांकित करती हैं की संसदीय लोकतंत्र के विश्लेषण में समिति की भूमिका का अध्ययन केन्द्रीय महत्व का हैं । बदलते राजनीतिक परिस्थितियों में लोकतंत्र में कानून के अर्थ को तर्कसंगत एवं प्रासंगिकता बनाए रखने के दायित्व की गहन समीक्षा आवश्यक हैं ।

Kashyap Subhash C , Our Parliament पुस्तक समिति व्यवस्था के विकास , उनके संरचना , कार्य के उद्देश्य एवं नीतियों में भागीदारी को समझने में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को प्रस्तुत करता हैं।

एक विशेष समयावधि के दौरान सुभाष , सी कश्यप के प्रकाशित लेख इनमें से दो लेख "भारतीय संसदीय समितियाँ" जिनका प्रकाशन 1993 में Institute of Constitutional and Parliamentary studies द्वारा किया गया तथा "भारतीय लोकसभा की समितियाँ" इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं

Lees J.D. and Shaw M., eds., Committees in Legislature: A Comparative Analysis की कृति आठ प्रमुख देशों में समिति प्रणाली के तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत करती हैं ।

Longly L.D. and Agh A. eds., The Changing Role ofParliamentary Committees. यह संग्रह उन्नीस देशों के सांसदों , समिति प्राणलियों सहित , इनके तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत करता हैं । इनमें प्रमुख देशों जैसे अमें रिका की काँग्रेस प्रणाली , यूनाइटेड किंगडम ,आस्ट्रेलिया ,कनाडा के विशेष संदर्भ में सैद्धांतिक तथा देश विशेष के दृष्टिकोण से विश्लेषण को शामिल किया गया हैं ।

भारत के संदर्भ में इस प्रकार के देश विशिष्ट अध्ययन की उपलब्धता हमें नहीं मिलती हैं , अध्ययन मात्र एक समिति के कार्य एवं उसके अनुषंगी इकाई के रूप में भूमिका तक सीमित हैं ।

समिति प्रणाली पर साहित्य हमें मुख्य रूप से भारतीय संसद के सचिवालय , लोकसभा , राज्यसभा के द्वारा प्रकाशित प्रतिवेदनों से प्राप्त होते हैं । हालाँकि इनमें मात्र समिति प्रणाली पर तथ्यात्मक जानकारी , सदस्यों के अनुभवों , अधिकारियों के विचार एवं लेखों का

संग्रह हैं । यह निश्चित रूप से महत्वपूर्ण आधार उपलब्ध करवाते हैं किन्तु यह सीमित दृष्टिकोण द्वारा समर्थित है प्रमुखतः नियम और प्रक्रियाओं पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं ।

इनमें प्रमुख हैं -

Public Accounts Committee : The Centenary Souvenir- Hundered Years in the Service of the Nation (1921-2021) ,

Financial Committees (2019-2020) : a review (Hindi), Sixty Years of Lok Sabha: A Study , 2012,The Indian Parliament (Hindi) 2012 सहित विभिन्न समितियों की रिपोर्ट महत्वपूर्ण हैं ।

Kaul,M.N. and Sakdher,S. L. volume, Practice and Procedure of Parliament, की पुस्तक समिति की नियम प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारियाँ उपलब्ध कराती हैं ।

Longley,Lawrence D and Davidson,Roger की पुस्तक इस बात की चर्चा करती है की संसदीय समितियाँ विश्व के अधिक देशों में कानून और सरकार पर संसद की निगरानी का मुख्य केन्द्रीय संगठन बन रहा हैं । यह लोकतान्त्रिक देशों में खुद के लिए नए और बदलते भूमिकाओं को परिभाषित करने लगी हैं । यह विश्व के की देशों में संसद के पत्तन संबंधी विमर्श से गुजर कर संसदीय समितियों के उत्थान की चर्चा करता हैं । Schonhardt-Bailey,Cheryl (2022). Deliberative Accountability in Parliamentary Committees.ब्रिटिश संसद पर केंद्रित अपनी पुस्तक में लेखक यह मत प्रस्तुत करती हैं की की जैसे जैसे जवाबदेही बढ़ी हैं शासन और राजनीतिज्ञों पर भरोसा कम हो रहा हैं । ऐसे में वैचारिक उत्तरदायित्व को बनाए रखने के लिए समिति जैसी केन्द्रीय संस्था महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं ।

<u>शोध आलेख -</u>

S.P. Maheshwari का लेख, "Informal Consultative Committees of Parliament," जो कि 1968 में Journal of Constitutional and Parliamentary Studies में प्रकाशित हुआ, हालाँकि जैसा कि शीर्षक सूचित करता है, इस शोध पत्र का क्षेत्र सीमित था। V.K. Malhotra का शोध पत्र " Parliamentary Committees- Impact of Recommendations" इस बिन्दु को रेखांकित करती हैं की कैसे समिति की सिफारिशें नीति निर्माण और कार्यान्वयन में प्रभावित करती हैं । इस विषय पर साहित्य अधिकतर शोध पत्रों के रूप में है तथा भारतीय संदर्भ में एक व्यवस्थित अध्ययन के कमी को दर्शाते हैं । वर्तमान अध्ययन मात्र समिति के नियम - विनियम , संरचना से जुडते है।

लोकतंत्र के एक कोशिका संरचना के रूप में इसका अध्ययन लोकतंत्र को अधिक प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक प्रतीत होता हैं ।

Patra, K. (2024). Parliamentary Committees: Meeting the Epistemic Threshold of Legislation. Indian Journal of Public Administration, 70(1), 82-95 यह लेख निम्नलिखित खंडों को शामिल करता है: पहले, यह संसदीय स्थायी समितियों के अर्थ, भूमिका और उद्देश्यों पर चर्चा करता है। दूसरे में, यह समितियों के प्रकारों पर ध्यान केंद्रित करता है और उनके संवैधानिक भूमिका के बारे में चर्चा करता है। तीसरा, यह समितियों के कार्यों का विस्तृत परीक्षण करता है। अंतिम खंड में, समितियों के कार्य के हाल के प्रवृत्तियों की खोज करता है।

Saxena, R. (2017). Parliament and accountability: Enforcing responsibility. In The Indian Parliament and Democratic Transformation (pp. 184-202). Routledge India. भारत में सरकार और प्रशासन के पार्लियामेंटरी नियंत्रण का कार्य जटिल है; मंत्रालयों और विभागों के मुकाबले सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों और नियामक विभागों के मामले में संसदीय नियंत्रण अधिक तत्काल और सीधा है। जबकि कार्यपालिका सीधे संसद के जवाबदेह है, आजाद नियामक एजेंसियों की जवाबदेही प्रत्यक्ष नहीं है - कार्यपालिका के माध्यम से। बहु-पार्टी तंत्र की शुरुआत से चुनौतियों के साथ, संसद की स्वतंत्रता बढ़ी है, लेकिन यह कुछ अन्य विकासों के साथ मिलकर हुई है जो संसद को संस्था के रूप में कमी में लाने में योगदान कर चुके हैं।

शोध का उद्देश्य :-

- संसदीय समितियों के कार्य का प्रभाव और उनके सुझावों का विश्लेषण करना।
- संसदीय समितियों की भूमिका का मूल्यांकन करके सरकारी नीतियों की पारदर्शिता और जवाबदेही को मापना।
- संसदीय समितियों के माध्यम से लोकतंत्र की स्थिरता और प्रणाली को सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका का अध्ययन
- लोकतंत्र में जवाबदेयता एवं पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में समितियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना ।
- लोकतंत्र की एक कोशिका संरचना के रूप में समितियों के महत्व को रेखांकित करना

- कार्यपालिका पर विधायिका के नियंत्रण एवं संतुलन के दायित्व में संसदीय समिति के भूमिका का विश्लेषण करना ।
- संसद को सहयता प्रदान करने समितियों की दक्षता , एवं सक्षमता को आंकना ।
- इन उद्देश्यों के माध्यम से यह अध्ययन संसदीय समितियों की भूमिका, प्रभाव, और कार्यप्रणाली पर गहन समझ को विकसित कर सकता है जिससे भविष्य की सरकारी नीतियों में सुधार के लिए मार्गदर्शन किया जा सके।

शोध परिकल्पना

- संसदीय समितियाँ विधायी शासन को लोकतांत्रिक बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं ।
- संसदीय समितियों को सौंपी गई भूमिकाएं सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर सीधे प्रभाव डालती हैं ।
- संसदीय समितियों की दक्षता और लोक़तांत्रिक मूल्यों के बीच एक सकारात्मक सहसंबंध मौजूद है।
- संसदीय समितियाँ विधान निर्माण में विधायिका, कार्यपालिका और विभिन्न हितधारकों के मध्य लोकतान्त्रिक सेतु का निर्माण करती हैं ।
- संसदीय समितियाँ लोकतंत्र की एक कोशिका संस्था के रूप में कार्य करती हैं ।

प्रस्तुत शोध कार्य का विषय अनुशासन एवं अन्य अनुशासन के प्रति योगदान

भारतीय लोकतंत्र में संसदीय समितियों पर अनुसंधान का योगदान कई तरह से महत्त्वपूर्ण हो सकता है। प्रस्तुत शोध राजनीति विज्ञान के साथ साथ लोक प्रशासन , लोक नीति एवं विधिशास्त्र के लिए भी उपयोगी होगा ।

नीति विकास और सुधार:

यह योगदान दे सकता है कि संसदीय समितियाँ सरकारी नीतियों के विकास और सुधार में कैसे मदद करती हैं। उनके सुझावों और उनके पारित होने का अध्ययन करने से अधिक प्रभावी नीतियों का निर्माण हो सकता है।

लोकतांत्रिक जवाबदेही:

इन समितियों के भूमिका का अध्ययन यह दिखा सकता है कि वे लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को कैसे मजबूत करती हैं। यह बता सकता है कि ये समितियाँ सरकारी कार्यों पर नजर रखकर लोकतंत्र को कितना मजबूत बनाती हैं।

कानूनी प्रक्रिया में सुधार:

संसदीय समितियों के कार्यक्षेत्र और प्रभाव को समझकर कानूनी प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव दिया जा सकता है। यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को संवेदनशील और प्रभावी बना सकता है।

नागरिकों की शक्तिशाली भूमिका:

संसदीय समितियों के कार्यक्षेत्र की समझ से नागरिकों को उनके प्रतिनिधियों के शासन में भागीदारी और सक्रियता की गहरी समझ मिल सकती है।

शैक्षिक और नीति परिणाम:

अनुसंधान के नतीजे और सिफारिशें शैक्षिक चर्चाओं पर प्रभाव डाल सकती हैं और सीधे नीति चर्चाओं पर भी प्रभाव डाल सकती हैं,जिससे बेहतर शासन के लिए सुधार हो सके।

अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण:

भारतीय लोकतंत्र के संसदीय समितियों का तुलनात्मक विश्लेषण दूसरे लोकतंत्रों अर्थात ब्रिटेन) की संसदीय समितियों या अन्यके साथ किया जा सकता है(,जो बेहतर प्रथाओं को समझने और भारतीय लोकतंत्र को सुधारने में मदद कर सकता है।

शोध पद्धति उपागम

यह शोध प्रस्ताव ऐतिहासिक - विश्लेषणात्मक पद्धति के साथ साथ मिश्रित अनुसंधान पद्धति आधारित होगा जिसमें गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही विधियों का प्रयोग समाहित हैं । शोध के उद्देश्य हेतु भिन्न समितियों के महत्वपूर्ण रिपोर्टों का अध्ययन ,विधेयकों पर उनके सुझाव , एवं उन सुझावों पर अमल की जानकारी एकत्रित की जाएगी । कुछ विधेयक जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है तथा व्यपक सामाजिक - राजनीतिक प्रभाव उत्पन्न कर सकते है या किए हैं उनके संबंध में समितियों की क्या भूमिका रही इसका केस अध्ययन शामिल किया जाएगा ।

आँकड़ा संग्रहण विधि एवं स्त्रोत

यह अध्ययन प्राथमिक और सेकेंडरी डेटा स्रोतों पर आधारित होगा । हालांकि, इस अध्ययन में मुख्यत: प्राथमिक डेटा स्रोतों ही लाभदायक होंगे । गैर-प्रतिभागी अवलोकन जिसका उपयोग समिति के काम के कुछ पहलुओं को समझने के लिए किया जा सकता हैं । अध्ययन के व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक आयामों को द्वितीयक स्रोतों द्वारा सार्वजनिक डोमें न से प्राप्त रिपोर्ट, दस्तावेज, स्थिति पत्र, पुस्तकें आदि के माध्यम से अध्ययन किया जाएगा ।

प्रस्तावित अध्यायीकरण

अध्याय I	**परिचय**
अध्याय II	**भारत में संसदीय समिति की उत्पत्ति एवं विकास**
अध्याय III	**नीति निर्माण में संसदीय समिति का योगदान**
अध्याय IV	**संसदीय समितियों का तुलनात्मक अध्ययन**
अध्याय V	**विमर्शी लोकतंत्र एवं समितियाँ**
अध्याय VI	**निष्कर्ष**
	संदर्भ सूची

संदर्भ सूची :

प्राथमिक स्त्रोत :

The 102nd Report on the Surrogacy (Regulation) Bill, 2016 by Parliamentary Standing Committee on Health and Family Welfare.

Eighth Report of Committee on Empowerment of Women on Working of National Commission for Women and State Commissions for Women.

Fifty-First Report Committee on Social Justice and Empowerment on Drug Abuse among young persons problems and solutions pertaining to the Ministry of Social Justice and Empowerment (Department of Social Justice and Empowerment.

Twelfth Report (Sixteenth Lok Sabha) on the action taken by the Government on the recommendations contained in their Eighth Report (Sixteenth Lok Sabha) on Empowering Women through Self Help Groups.

Thirty-Second Report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj (2022-2023) on Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY).

Forty Sixth Report of the Standing Committee of Finance (17th Lok Sabha) on 'Strengthening Credit Flows to the MSME Sector' pertaining to the Ministry of Finance (Department of Financial Services) and Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises.

Timms O. Report of the Parliamentary Standing Committee on the Surrogacy (Regulation) Bill, 2016: A commentary. Indian J Med Ethics. 2018 Apr-Jun;3(2):102-107. doi: 10.20529/IJME.2018.018. Epub 2018 Feb 28. PMID: 29550747

द्वितीयक स्त्रोत :

Siefken, Sven T. And Rommetvedt, Hilmar, Parliamentary Committees in the Policy Process .

Schonhardt-Bailey,Cheryl (2022). Deliberative Accountability in Parliamentary Committees.

Kaul,M.N. and Sakdher,S. L. volume, Practice and Procedure of Parliament.रामन, मोहन. "संसदीय समितियों के विचारशीलता पर एक अध्ययन." भारतीय लोकतंत्र अनुसंधान जर्नल, वॉल्यूम 8, संख्या 4, 2019, पृष्ठ 205-220.

सिंह, प्रदीप. "संसदीय समितियों की सक्रियता का अध्ययन." राजनीति और समाजशास्त्र समीक्षा, वॉल्यूम 25, संख्या 1, 2018, पृष्ठ 75-88.

अग्रवाला, आर.एन., "भारतीय संसद के वित्तीय समितियाँ (राजकोषीय व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अध्ययन)", एस. चंद एंड कंपनी, दिल्ली, 1966।

अंबेडकर, एस. नगेंद्र, "राजनीतिक अभिजाति", प्रिंटवेल, जयपुर, 1991।

अर्मे लर, मिशेल, "संसद: प्रतिष्ठानों के परिचय और प्रतिनिधि संस्थाओं के कार्यान्वयन पर एक तुलनात्मक अध्ययन", द्वितीय संस्करण, इंटर पार्लियामेंटरी यूनियन, लंडन, 1966।

आनंद, पी.एल. और वर्मा, डी.पी., "भारतीय संविधान और प्रशासन", एस. नागिन एंड कंपनी,, 1972।

एन्स्टी और एजर, "समितियाँ: वे कैसे काम करती हैं और आप उन्हें कैसे काम में ला सकते हैं", जॉर्ज एलेन एंड अनविन लिमिटेड, लंदन, 1962

जेना, बी.बी., "भारतीय संसदीय समितियाँ", साइंटिफिक बुक एजेंसी, कलकत्ता, 1966।

जेनिंग्स, सर आइवर, "संसद", द्वितीय संस्करण, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, लंडन, 1970।

झा, चेतकार, "इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स: ए पॉलिटिकल कॉमेंट्री", रिसर्च प्रेस इंडिया, न्यू डेल्ही, 2006।

जॉनसन, नेविल, "संसद और प्रशासन: द एस्टिमें ट्स समिति 1945-65", जॉर्ज एलेन एंड अनविन, लंडन, 1966।

जोहरी, जे.सी., "इंडियन पार्लियामेंट (इट्स इवोल्यूशन, संरचना और काम का एक कृतिक अध्ययन)", में ट्रोपोलिटन बुक कंपनी, न्यू डेल्ही, 2006।

जोन्स, डब्ल्यू.एच. मॉरिस, "पार्लियामेंट इन इंडिया", लॉगमैन्स, ग्रीन एंड कंपनी, लंदन 1957।

शंकर बी.एल., रॉड्रिग्स वैलेरियन. "द इंडियन पार्लियामेंट: ए डेमोक्रेसी एट वर्क / बी. एल. शंकर और वैलेरियन रॉड्रिग्स." ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस; 2011।

रूडॉल्फ, एल. आई., रूडॉल्फ, एस. एच. (2015). भारतीय लोकतंत्र का विवेचन: पचास साल का दृष्टिकोण, 1956-2006: खंड 2: संस्थाओं का क्षेत्र: राज्य निर्माण और संस्थागत परिवर्तन। भारत: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

ब्रास, पी. आर. (1994). स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति। संयुक्त राज्यः कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।.

अन्य स्त्रोत -

CSDC

LOKNITI लोकनीति

ELECTION COMMISION चुनाव आयोग

पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर

शोधार्थी का हस्ताक्षर

20/4/24

M. Kumar 20.4.24

20/4/24

MBVerma 20.04.2024